लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक दिनांक 20 मार्च, 2026 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **187वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री विजय विश्वास पन्त, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए:–

उपस्थिति:–

01.	श्री प्रथमेश कुमार	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	श्रीमती नम्रता सिंह	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री कृष्ण मोहन	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
05.	श्री प्रमोद कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
06.	श्री अतुल मिश्रा	अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
07.	श्री ए.के. सिंह	सहायक अभियन्ता प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
08.	डा0 कल्याण सिंह	उपनिदेशक (पर्यटन) प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
09.	श्री विनय कुमार	सहायक आयुक्त–उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विशिष्ट आमंत्रणी:–

12.	श्री तुषार चन्द्र	सहायक महानिरीक्षक–स्टाम्प, प्रतिनिधि–महानिरीक्षक निबन्धन एवं आयुक्त, स्टाम्प, उ0प्र0।

अन्य उपस्थिति:–

13.	श्री विवेक श्रीवास्तव	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री सी0पी0 त्रिपाठी	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री एस0पी0 सिंह	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री के0के0 गौतम	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	श्री सोम कमल सीताराम	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	श्री प्रभाकर सिंह	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
22.	श्री माधवेश कुमार	उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
23.	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

मद सं0	विषय	निर्णय
187/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक दिनांक 05.12.2025 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की 186वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
187/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक दिनांक 05.12.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

187/3	वित्तीय वर्ष 2025–26 स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष माह फरवरी 2026 तक वास्तविक आय एवं व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025–26 का वास्तविक आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रस्तावित आय–व्ययक, जिसमें आय रू 3702.15 करोड़ तथा व्यय रू0 5147.79 करोड़ के प्राविधान हैं, को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/4	आई.टी. सिटी योजना में लैण्ड पूलिंग के माध्यम से प्राप्त भूमि के भू–धारकों/भू–स्वामियों/किसानों को विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं भविष्य में किसी संशोधन इत्यादि हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
187/5	मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम– कलियाखेड़ा व प्यारेपुर में अर्जित भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाये गये मकान/निर्माणों के ध्वस्तीकरण उपरान्त उत्पन्न समस्याओं के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अटल आवासीय योजना, देवपुर पारा में फ्लैट दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम–कलियाखेड़ा व प्यारेपुर में अर्जित भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाये गये मकान/निर्माणों के ध्वस्तीकरण उपरान्त उत्पन्न समस्याओं के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अटल आवासीय योजना, देवपुर पारा में प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि यदि 06 माह में आवंटन हेतु सम्बन्धित द्वारा सहमति न प्रदान की जाय, तो अन्य फ्लैट की भांति इनका भी विक्रय किया जाय।
187/6	गोमती नगर योजना, विनम्र खण्ड स्थित लोकल शॉप हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या–LS-5 को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना, विनम्र खण्ड स्थित लोकल शॉप हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या–LS-5 को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सृजित भूखण्डों हेतु न्यूनतम आरक्षित दर व्यवसायिक भूमि की दर ही रखी जाय।
187/7	गोमती नगर विस्तार योजना में ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित सरस्वती अपार्टमेन्ट के निकट उपलब्ध अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग भूमि को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर विस्तार योजना में ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित सरस्वती अपार्टमेन्ट के निकट उपलब्ध अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग भूमि क्षेत्रफल 3041.840 वर्गमी0 को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित करने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

187/8	गोमती नगर विस्तार योजना स्थित सेक्टर–7 के भूखण्ड संख्या–7/10–बी के दक्षिण दिशा में स्थित भूमि को तलपट मानचित्र में पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर विस्तार योजना स्थित सेक्टर–7 के तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या–7/10–बी के दक्षिण दिशा में स्थित भूमि को होटल उपयोग में पुनर्नियोजित करने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/9	गोमती नगर विस्तार योजना स्थित सेक्टर–7 अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–7/33 के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि को तलपट मानचित्र में पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर विस्तार योजना स्थित सेक्टर–7 अन्तर्गत एन.डी.आर.एफ. भूखण्ड संख्या–7/33 के पश्चिम दिशा में उपलब्ध भूमि पर समूह आवास एवं ग्रीन कॉरीडोर के निर्माण के दृष्टिगत एन.डी.आर.एफ. भूखण्ड के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/10	गोमती नगर विस्तार सेक्टर–6 में नियोजित भूखण्ड संख्या– 6/C-964, 6/V-148 & 6/C-980 से C/985 के उत्तर दिशा में सम्मुख नियोजित 45.0मी0 मार्ग को 09.0 मी0 करते हुए शेष भूमि को व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग हेतु नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर विस्तार सेक्टर–6 में नियोजित भूखण्ड संख्या–6/C-964, 6/V-148 & 6/C-980 से C/985 के उत्तर दिशा में सम्मुख नियोजित 45.0 मी0 मार्ग को 09.0 मी0 करते हुए शेष भूमि को व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग हेतु नियोजित करने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/11	सी0जी0 सिटी योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सी0जी0 सिटी योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में पत्राचार हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
187/12	ऐशबाग स्थित इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, लखनऊ के भूखण्ड संख्या–3/2 एवं 3/3 के तलपट मानचित्र में भू–उपयोग परिवर्तन एवं पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में। (चित्ताखेड़ा ले–आउट)	सम्यक् विचारोपरान्त ऐशबाग स्थित इण्डिस्ट्रीयल एरिया योजना लखनऊ के तलपट मानचित्र में नियोजित औद्योगिक भूखण्ड संख्या–3/2 तथा भूखण्ड संख्या–3/3 को प्रभावी लखनऊ महायोजना में आवासीय उपयोग के दृष्टिगत प्रश्नगत भूखण्डों को आवासीय उपयोग में परिवर्तन एवं पुनर्नियोजन करते हुए संशोधित

		तलपट मानचित्र के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मा० न्यायालय में प्राधिकरण द्वारा योजित पट्टा निरस्तीकरण संबंधी वाद संख्या–289/2023 में अन्तिम निर्णयोपरान्त ही तलपट मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डों के विक्रय संबंधी कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।
187/13	रिफाह–ए–आम योजना के तलपट मानचित्र का पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त रिफाह–ए–आम क्लब योजना के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में नियोजित आवासीय भूखण्डों, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड तथा व्यवसायिक भूखण्ड को पुनर्नियोजित करते हुए 04 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड प्रस्तावित किये जाने के साथ तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मा० न्यायालयों में पारित स्थगन आदेश के निष्प्रभावी होने संबंधी अन्तिम निर्णयोपरान्त ही भूखण्डों के विक्रय संबंधी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
187/14	मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत एफ.एस.आई. के रूप में विक्रय किये गये भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण के निस्तारण हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
187/15	ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्र स्वीकृति में लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों का आयकर विभाग की लागत मुद्रा स्वीकृति सूचकांक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में मानचित्र/शमन मानचित्र स्वीकृति में लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों का आयकर विभाग की लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के आधार पर दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/16	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के पत्र संख्या–1512/आठ–1–25/ई 1820585 दिनांक 25.12.2025 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्तियों की आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन्स (मूलभूत सिद्धान्त–2025) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
187/17	जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–4 में न्यू वे सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल को प्राइमरी स्तर का आवंटित/निबन्धित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3488.01 वर्गमीटर को सी.बी.एस.ई. बोर्ड की सम्बद्धता हेतु कक्षा 12 तक संचालन	सम्यक् विचारोपरान्त जानकीपुरम विस्तार योजना के सेक्टर–4 में न्यू वे सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल को प्राइमरी स्तर का आवंटित/निबन्धित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3488.01 वर्ग मीटर को सी०बी०एस०ई० बोर्ड की सम्बद्धता हेतु कक्षा 12

	हेतु वर्तमान में एल0डी0ए0 उपविधि नियम–2025 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।	तक संचालन हेतु वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि –2025 के अनुसार उच्चीकृत किये जाने एवं निष्पादित लीज डीड के अनुसार यदि अनुमन्य गतिविधि के अतिरिक्त किसी अन्य क्रियाओं को अनुमन्य करना हो तो जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य क्रियाओं की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को अधिकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/18	गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड–3 में निर्मित व्यावसायिक काम्प्लेक्स में निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 शिविर कार्यालय हेतु आवंटित द्वितीय तल में फिनिशिंग आइटम हेतु प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग द्वारा आगणित मूल्य रू0 40,00,000/– में से अवशेष रू0–30,44,829/– को ब्याज सहित जमा किये जाने के सम्बन्ध में।	गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड–3 में निर्मित व्यावसायिक काम्प्लेक्स में निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 शिविर कार्यालय हेतु आवंटित द्वितीय तल में फिनिशिंग आइटम हेतु प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग द्वारा आगणित मूल्य रू0 40,00,000/– में से अवशेष रू0–30,44,829/– को ब्याज सहित जमा किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक के दौरान विशेष आमंत्री के रूप उपस्थित श्री तुषार चन्द्र, सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प से विस्तृत विचार–विमर्श तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं निबन्धन विभाग की संयुक्त आख्या के क्रम एवं आवंटी एक शासकीय विभाग होने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/19	कानपुर रोड योजना विस्तार भाग–iv रायबरेली रोड, लखनऊ (शारदा नगर योजना) के विकास हेतु 252.29 एकड़ भूमि मैसर्स यूनीटेक लि0 के लाईसेन्स अनुबन्ध निरस्तीकरण के बहाली के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना विस्तार भाग–iv रायबरेली रोड, लखनऊ (शारदा नगर योजना) के विकास हेतु 252.29 एकड़ भूमि मैसर्स यूनीटेक लि0 के लाईसेन्स अनुबन्ध निरस्तीकरण के बहाली के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/20	उ0प्र0 शहरी पुनर्विकास नीति–2026 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 शहरी पुनर्विकास नीति–2026 को अंगीकार किया गया।
187/21	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर योजना में स्थित पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेन्ट के फ्लैटों के मूल्य को पुनः 01 वर्ष के लिये फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर योजना में स्थित पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेन्ट के फ्लैटों के मूल्य को दिनांक 31.03.2026 से 01 वर्ष (31.03.2026 से 30.03.2027 तक) के लिये फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

187/22	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/ल0वि0प्रा0 द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर लागू नियमों के अन्तर्गत प्रभावी भवन उपविधि, 2025 के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के विषयक पर पूरक विलेख निष्पादित किये जाने की कार्यवाही पृथक से किये जाने एवं अनापत्ति –प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/ल0वि0प्रा0 द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर लागू नियमों के अन्तर्गत प्रभावी भवन उपविधि, 2025 के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में पूरक विलेख निष्पादित किये जाने की कार्यवाही पृथक से किये जाने एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) द्वारा उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
187/23	स्व0 ओम प्रकाश सिंह, मेट की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी श्रीमती गायत्री सिंह को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	स्व0 ओम प्रकाश सिंह, मेट की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी श्रीमती गायत्री सिंह को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में ग्रीन कॉरीडोर से सम्बन्धित जो कार्य कराये गये हैं उसके लिए बोर्ड बैठक के मनोनीत मा0 सदस्य श्री पी0एन0 सिंह एवं श्री पुष्कर शुक्ला द्वारा प्राधिकरण की प्रशंसा की गयी, जिसका सभी मा0 सदस्यों द्वारा एक स्वर में समर्थन किया गया।

अन्त में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

24/3/26

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित

28/03/2

(विजय विश्वास पन्त)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।